153

# न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 निगरानी R-1608-III-14

आ. सरनाम सिंह कुशवाह, अभि०
द्वारा आज दि. 27-5-14 को
प्रस्तुत
27-5-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

जानकी वाई वेवा राम सिंह ठाकुर आयु वर्ष
निवासी – ग्राम टोकनपुर कृषक, ग्राम कडौरा
इमलिया तहसील करैरा, जिला शिवपुरी
(म.प्र.) ................ आवेदिका

बनाम

अमर सिंह पुत्र श्री धीरज सिंह ठाकुर
निवासी – ग्राम टोरिया खुर्द कृषक, ग्राम
कडौरा इमलिया, तहसील करैरा, जिला
शिवपुरी (म०प्र०) ................ अनावेदक

**निगरानी अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध विरूद्ध आदेश न्यायालय माननीय अनुविभागीय अधिकारी परगना करैरा, जिला शिवपुरी (म.प्र.) प्रकरण क्रमांक 8/2013-14 अपील आदेश दिनांक 09.04.2014 को पारित आदेश से दुखित होकर**

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

## निगरानी के तथ्य

1. यहकि, आवेदिका के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि जो ग्राम कडौरा इमलिया तहसील नरवर जिला शिवपुरी (म.प्र.) में स्थित है जो भूमि सर्वे क्रमांक 14 कुल रकबा 1.760 हैक्टेयर में से रकवा 2/3 यानी रकवा 1.17 हैक्टेयर को अपीलांट द्वारा शिशुपाल सिंह पुत्र श्री धीरज सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम टोरिया खुर्द, तहसील नरवर जिला कृषक ग्राम कडौरा इमलिया, तहसील नरवर जिला शिवपुरी (म.प्र.) से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.11.2011 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक 794 ग्रन्थ 1000 के द्वारा क्रय की गई जिसमें विक्रेता द्वारा जो भूमि आवेदिका को विक्रय की गई थी उसकी विधिवत चतुरसीमा विक्रय पत्र के पेज क्रमांक 4 पर अंकित की गई है।

2. यह कि आवेदिका द्वारा उक्त वर्णित सर्वे नंबर की भूमि के संबंध में विधिवत तहसीलदार महोदय करैरा से दिनांक 10.01.2012 को बटवारा आदेश कराया गया जिसके पालन में आवेदिका द्वारा क्रय की गई भूमि का विधिवत बटवारा होकर बटांकन नंबर 74/2 अंकित किया गया उक्त बटवारा उक्त वर्णित भूमि के मूल स्वामी व आवेदिका के मध्य हुआ ।

सरनाम सिंह कुशवाह
27/05/14

क्रमशः.........2

नि: अ. जानकीवाई

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–1608–तीन/2014 जिला–शिवपुरी

<u>जानकी बाई विरूद्ध अमर सिंह</u>

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 28–05–2019 | प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री कुवंर सिंह कुशवाह अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी परगना करैरा, जिला–शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 08/2013–14/अपील में पारित आदेश दिनांक 09–04–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर शिवपुरी, जिला–शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।<br>2/ पक्षकार दिनांक 16–07–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।<br>28/5/19<br>(आर0के0 जैन)<br>सदस्य | |